लिंग, विद्यालय एवं समाज

Part – I

प्रश्न – रूढ़िबद्धता को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – रूढ़िबद्धता का अर्थ एवं परिभाषाएँ –

रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएँ एवं कुरीतियों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में हस्तान्तरित होती रहती हैं। इसकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इसको मान्यताएँ प्रदान करता है। रूढ़िबद्धता समाज समुदाय एवं देश के विकास में बाधक है। रूढ़िबद्धता के अन्तर्गत होने वाली क्रियाओं को व्यक्ति, समाज, धर्म ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति से जोड़कर सम्पादित करता है जबकि आज की आधुनिकता, विकासशील एवं मशीनीकरण के युग में इसकी न तो उपयोगिता है और न ही सार्थकता।

जहोदा के अनुसार, "रूढ़िबद्धता एक समूह के प्रति, पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है।"

विशेषताएँ — समाजशास्त्रियों के अनुसार रूढ़िबद्धता की विशेषताएँ इस प्रकार से हैं—

1- रूढ़ियाँ व्यक्ति के व्यवहार को विशेष एवं मान्य रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

लिंग, विद्यालय एवं समाज

पार्ट – I

प्रश्न1 – रूढ़िबद्धता को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – रूढ़िबद्धता का अर्थ एवं परिभाषाएँ –

रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएँ एवं कुरीतियों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में हस्तान्तरित होती रहती है। इसकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इसको मान्यताएँ प्रदान करता है। रूढ़िबद्धता समाज समुदाय एवं देश के विकास में बाधक है। रूढ़िबद्धता के अन्तर्गत होने वाली क्रियाओं को व्यक्ति, समाज, धर्म ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति से जोड़कर सम्पादित करता है जबकि आज की आधुनिकता, विकासशील एवं मशीनीकरण के युग में इसकी न तो उपयोगिता है और न ही सार्थकता।

जेहोदा के अनुसार, " रूढ़िबद्धता एक समूह के प्रति, पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है।"

विशेषताएँ— समाजशास्त्रियों के अनुसार रूढ़िबद्धता की विशेषताएँ इस प्रकार से हैं—

1. रूढ़ियाँ व्यक्ति के व्यवहार को विशेष एवं मान्य रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

RAJDHANI
PAGE
DATE

(2) सामाजिक संरचना के स्थायित्व में रूढ़ियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है।
(3) रूढ़ियां प्रायः गतिहीन होती हैं एवं सामाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति उनको आत्मसात करते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं।
(4) रूढ़ियां हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।
(5) जो देश रूढ़िवादी परम्पराओं का अनुकरण करता है वह कभी भी विकसित नहीं हो सकता।
(6) रूढ़िवादी परम्पराएं प्रायः लिंग भेद को जन्म देती हैं।

भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता -

भारतीय समाज में व्याप्त मुख्य रूढ़िबद्धताएँ निम्न हैं -

1. लिंगपरक रूढ़िबद्धता - लड़की और लड़के के बारे में बनाई गयी असमान तथा एकतरफा धारणा लड़कों एवं पुरुषों को लड़कियों एवं औरतों से अधिक महत्व देता है। यह सामाजिक धारणा एवं व्यक्तियों के विचार एवं लैंगिक रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता समाज को पुरुष प्रधान बनाने के साथ स्त्रियों की शिक्षा, सामाजिक सहभागिता एवं स्वतन्त्रा को प्रभावित करती है।

2. बाल-विवाह - वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है। अपने विकास के साथ ही उसके विभिन्न सामाजिक स्वरूपों में भी विकास हुआ है परन्तु बहुत सी सामाजिक रूढ़ियों में आज भी पिछड़ापन है। बाल-विवाह अपने बदले हुए स्वरूप में आज भी विद्यमान है। समाज के एक पक्ष ने शिक्षित एवं जागरूक होकर बाल-विवाह

RAJDHANI
PAGE:
DATE: / /

का त्याग भले ही किया है। परन्तु पूर्ण रूप से इस रूढ़िवादिता का अन्त नहीं माना जा सकता।

3. दहेज प्रथा - समाज में व्याप्त विभिन्न रूढ़िवादियों में दहेज प्रथा एक प्रमुख रूढ़िबद्धता है। प्रारम्भ में राजा एवं महाराजा इसे अपनी शान समझकर वर पक्ष को धन, भूमि, सैनिक आदि प्रदान करते थे। परन्तु समाज के सभी वर्गों ने इसे अनिवार्य रूप से अपना लिया तथा आज यह अनिवार्य बन गया।

4. पिण्डदान हेतु पुत्र की महत्ता - भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़िबद्धताएँ हैं जिनमे से एक रूढ़िबद्धता पिण्डदान हेतु पुत्र का होना आवश्यक है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि पुत्र ही माता-पिता के लिए मुक्ति यानि मोक्ष का द्वार खोलता है। भारतीय समाज में यह रूढ़िबद्धता प्राचीनकाल से चली आ रही है।

5. स्त्रियों से मात्र गृहकार्य की अपेक्षा - भारतीय समाज में यह कहा जाता है कि गृहकार्य करने में मात्र स्त्रियों की ही सहभागिता होनी चाहिए। आधुनिक समाज में इस बुराई का कुछ अंश तक खण्डन किया जा चुका है। अब पुरुष एवं बालक भी घर के कार्यों में भागीदारी का उचित निर्वहन कर रहे हैं।

6 पुरुष ही घर का पालनहार - प्राचीन भारतीय समाज में पुरुष ही घर का पालनहार या पालनकर्ता माना जाता था। इसलिए पूरे परिवार को उसकी प्रत्येक

उचित एवं अनुचित बात का समर्थन करना होता था परन्तु धीरे - धीरे इस रूढ़िवद्धता में सुधार होता गया। वर्तमान में एक परिवार को अपनी - अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है एवं उसे यह भी अधिकार है कि वह घर के प्रत्येक सदस्य की अनुचित व्यवहार या बातो के प्रति आवाज बुलन्द कर सकता है।

रूढ़िवद्धता के प्रकार -

1. सकारात्मक रूढ़िवद्धता
2. नकारात्मक रूढ़ि वद्धता

1. सकारात्मक रूढ़िवद्धता - ऐसी रूढ़ियाँ जो व्यक्ति से विशेष प्रकार की अपेक्षा (व्यवहार की) रखती है जैसे - जीवन में ईमानदारी रखना, माता - पिता का आदर करना, आदि सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं।

2. नकारात्मक रूढ़िवद्धता - सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत नकारात्मक रूढ़िया वर्जना के रूप में हमे कुछ विशिष्ट व्यवहार को रोकती है। उदाहरण के लिए - चोरी नहीं करना, वेश्यावृति से दूर रहना, सट्टेबाजी नहीं करना आदि।

निष्कर्ष - इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूढ़ियों में नैतिकता का पर्याप्त प्रभाव रहता है एवं इनका पालन करना भी सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अतिथि का

आदर करना, स्त्रियों से आदरपूर्वक व्यवहार करना इत्यादि रूढ़ियों के ही उदाहरण हैं। रूढ़ियों के कारण ललनाएँ पति के साथ चिता में प्रवेश कर जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि रूढ़ियों ने उचित-अनुचित पर ध्यान दिए बिना सैकड़ों व्यवहार के ऐसे मानदण्ड प्रस्तुत किए हैं जिनको समाज ने बिना किसी तर्क के समय-समय पर पालन किया है।

SUSHIL

Experiment No. .....

Page No. 1

Date .....

प्रश्न - समता एवं समानता का अर्थ व अन्तर स्पष्ट करो।

उत्तर - समता एवं समानता का अर्थ -

समता का सामान्य अर्थ है - सबको एक समान परिस्थितियां उपलब्ध कराना। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक जैसा बना दिया जाए। सभी को एक समान वेतन देना, सभी को एक जैसा घर देना सभी को एक जैसा सामान देना आदि समता के उदाहरण है। समता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, वह है निष्पक्षता, न्यायपूर्ण, समान एवं सच्चा व्यवहार। समता एक व्यापक शब्द और प्रत्यय है जो न्याय और निष्पक्षता के आधार पर समान परिस्थितियां उत्पन्न करने पर बल देता है।

समानता - समानता का अर्थ है समान व्यवहार करना। समानता का वास्तविक अर्थ है सभी को एक जैसी परिस्थितियां देना। हम सभी को बिल्कुल समान नहीं बना सकते लेकिन समान परिस्थितियां तो दी जा सकती है जैसे - शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है। कानून भी सबके लिए समान एवं सभी को उपलब्ध है।

उदाहरण के लिए - सभी को एक जैसा काम मिले, यह समता है। सभी को काम मिलने की समान परिस्थितियाँ उपलब्ध हो - यह समानता है।"

समता एवं समानता में अन्तर -
समता - समता शब्द का प्रयोग करते समय यह माना जाता है कि सभी एक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक शोषित या पिछड़े होते हैं जैसे की विकलांग व्यक्ति। इन्हें सामान्यजनों के समान अवसर प्रदान करने पर इनके साथ अन्याय होगा। इनके लिए अवसरों की अधिकता होनी चाहिए।
समानता का अर्थ सभी के लिए एक जैसा व्यवहार करना है जिससे कि कोई भी अपनी विशेष परिस्थिति का अवांछित लाभ न ले सके। सभी को समान अवसर मिलते हैं जिसमें सभी अपनी - अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कक्षा में सभी छात्र शिक्षक के लिए समान होते हैं परन्तु कुछ बच्चों के साथ कोई समस्या हो सकती है जैसे की दृष्टिदोष। अब कमजोर आँख वाले बच्चों को आगे बैठाना उसे अन्य छात्रों के समान अवसर प्रदान करने के लिए है न कि उसे विशेष अवसर प्रदान के लिए। इसे ही समता कहते हैं। समान दृष्टि वाले सभी छात्रों

को या तो एक साथ बैठाया जाए या उन्हें काम बैठने के समान अवसर प्रदान किए जाएँ। इन्हें समानता कहेंगे।

समता के वैज्ञानिक पहलू -

1. असन्तोष का अनुभव
2. दुखद एवं निराशाजनक

समाजशास्त्रीय पहलू -

1. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार असन्तुष्ट व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में सरलता से लिप्त हो सकता है। तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्हें समता प्रदान की जानी चाहिए।
2. संसाधनों का वितरण करते समय व्यक्ति के साथ समान एवं उचित व्यवहार किया जाना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस समाज की कल्पी उन्नति नहीं होती है क्योंकी उस समाज में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान अवसर एवं पारितोषिक नहीं प्रदान किया जाता है जिससे वह असन्तोष की प्रक्रिया से ग्रसित होने के कारण समाज के विकास में अपना पूर्ण योगदान नहीं देता है।

SUSHIL

Experiment No. .....

Page No. 4

Date .....

समानता के मनोवैज्ञानिक पहलू —

1. योग्यता की भावना का विकास
2. भय को दूर करने के लिए
3. संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आघात से बचाव।

समानता के समाजशास्त्रीय पहलू —

1. समानता के समाजशास्त्रीय पहलू निम्नलिखित हैं —
लोकतंत्र की सफलता के लिए — लोकतंत्र को भारतीय समाज की आत्मा माना जाता है। अतः इसे सुरक्षित रखने की परम आवश्यकता है। इस प्रजातंत्र को स्वयं एवं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने सम्पूर्ण समाज में सामाजिक एकता स्थापित कर ली है।
2. समतावादी समाज की स्थापना के लिए — मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः इस सामाजिकता को बनाए रखने के लिए समतावादी समाज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। एक समतावादी समाज में सभी व्यक्ति खुशहाल तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं।
3. मनुष्यों के मध्य स्वस्थ सम्बन्धों के निर्माण के लिए —
व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले व्यक्तियों में परस्पर स्वस्थ सम्बन्ध किसी भी विकसित राष्ट्र की प्रथम एवं मूल आवश्यकता है। इसके अभाव में किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। स्वस्थ सम्बन्ध

मात्र तभी स्थापित किए जा सकते हैं जब बिना किसी भेदभाव के सभी संसाधनों तक सभी व्यक्तियों की समान पहुंच हो क्योंकी यह समान पहुंच उनको मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करती है।

4. निर्धनता दूर करने के लिए —

निर्धनता की समस्या वर्तमान में भारत की प्रमुख समस्याओं में से है। यहां निर्धनता दूर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे वे प्रायः अस्पष्ट हैं। शिक्षा एवं निर्धनता एक दूसरे से अन्तसम्बन्धित हैं। अतः निर्धनता के ~~निवा~~ निवारण के लिए समाज को शैक्षिक तथा कार्य आधारित समानता प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष — उपरोक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की भारतीय संविधान की धारा 15, 16, 17, 38 तथा 48 भी यह सुनिश्चित करती है कि राज्य व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, वर्ग और स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। शिक्षा का एक प्रमुख ध्येय सभी को अवसरों की समानता प्रदान करना है जिससे भी पिछड़े व दबे लोगों को शिक्षा का प्रयोग कर अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिले। महिला और पुरुष के सभी मामलों में समता सम्भव नहीं है इसमें कुछ न कुछ अन्तर तो रहेगा ही, पर समानता जरूर कायम की जा सकती है।

प्रश्न – आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन पर विस्तृत नोट लिखो।

उत्तर – भूमिका – प्राचीन काल से स्त्री-पुरुष ने काम करने के अपने दायरे बना लिए थे। पति खाने का इन्तजाम करता था और पत्नी घर पर रहकर ही बच्चों का लालन-पालन किया करती थी तथा खाना बनाती थी और घर को व्यवस्थित किया करती थी। पशुपालन युग में भी महिलाएँ पशुओं की देखभाल, सेवा एवं इनसे सम्बन्धित अन्य काम किया करती थी। आधुनिक युग में समाज में व्यापक परिवर्तन हो चुका है। अब काफी मात्रा में राजनैतिक अधिकार स्त्रियों को प्राप्त हो चुके हैं। जिसके कारण लैंगिक विषमता सिर्फ सामाजिक ही रह गई है क्योंकी सरकार ने कानूनों के माध्यम से कई प्रकार के राजनैतिक अधिकार दिए हैं जिसके कारण लैंगिक समानता की स्थिति को व्यवहारिक रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हो चुका है। इस स्थिति को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है –

1. सामाजिक स्थिति – सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। पहले की तुलना में अब भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर है जो की परिवर्तन सकारात्मक रूप में दिखाई देता है वह शहरी क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा

अच्छी नहीं है। यद्यपि परम्पराएं जो महिलाओं के विकास में बाधा थी वे समाप्त हो चुकी है। अब महिलाओं की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सीमाओं में लचीलापन आया है।

2. पारिवारिक व वैवाहिक जीवन – विवाह से सम्बन्धित जटिलताओं के मामले में अब महिलाओं को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो गए है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब स्त्री किसी जाति के पुरुष से विवाह कर सकती है। परिस्थितियां अगर अनुकूल न हो तो वह अपने पति से तलाक भी ले सकती है। ऐसे ही कई प्रकार के अधिकारों के मिलने से महिलाओं की पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है।

3. आर्थिक स्थिति – आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। अब रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है। अनुच्छेद 16 के अनुसार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में रोजगार में समानता व समान काम के लिए समान वेतन जैसे अधिकार मिलने के कारण आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है।

4. राजनैतिक स्थिति – राजनैतिक भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। 2014 में चुनावों में 65.63% महिलाओं ने वोट डाले। विश्व आर्थिक फोरम के अनुसार भारत की महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी विश्व के 20 सबसे अधिक भागीदारिता वाले देशों में है।

5. शैक्षिक स्थिति – महिलाओं के शैक्षिक स्तर में काफी परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में स्त्रियों को भी समान संवैधानिक अधिकार व अवसर शिक्षा में प्राप्त हुए है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना देने से भी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है।

स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारण –

1. सामाजिक आन्दोलन – स्वतन्त्रा से पहले से ही कई समाज सुधारकों जैसे – राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, रानाडे, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि के प्रयासों से उस समय व्याप्त कई सामाजिक रूप से प्रचलित बुराईयों की समाप्ति हुई जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, अशिक्षा आदि। इसके अलावा स्वतन्त्र भारत में भी महिलाओं से सम्बन्धित कई सुधार किए गए।

2. अन्तर्जातीय विवाह – महिलाओं की स्वतन्त्रा में वृद्धि के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में महिलाओं को कई प्रमुख अधिकार दिए जिनमें से एक अधिकार यह भी था कि वे किसी भी जाति के पुरूष से विवाह कर सकती थी। इससे संकीर्णता समाप्त हुई और उनकी स्वतन्त्रा में वृद्धि हुई।

3. रोजगार में वृद्धि – भारत में रोजगार की सम्भावनाओं में अपार वृद्धि हुई है। चाहे सरकारी हो या निजि क्षेत्र

... विधेयक विधान है–

(5)

सभी जगहों पर महिलाएं रोजगार पा रही है। भारतीय सेना में रोजगार मिलने लगा है। इस कारण भी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है।

4. आर्थिक सुदृढ़ता – आर्थिक सुदृढ़ता के कारण महिलाओं की स्थिति में सबसे अधिक परिवर्तन आया है आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी होने के कारण परिवार में उनका महत्व बढ़ा है और निर्णय प्रक्रिया में अब वे शामिल होने लगी है।

5. कानूनी अधिकार – कई प्रकार के कानूनी अधिकारों के कारण महिलाओं को पहले से ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिल रही है। आज उनको अबला स्त्री के रूप में नहीं देखा जा रहा बल्कि वे सबला हो रही है।

6. महिला संगठनों का उदय – महिलाओं के कुछ संगठन जैसे- बंग महिला समाज व महिला थियोसोफिकल सोसायटी स्त्रियों के लिए आधुनिक आदर्शों के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे थे। किन्तु अग्रणी कार्य उन संगठनों द्वारा किया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे थे।

7. सामाजिक विधानों का पारित किया जाना – स्वतन्त्रा के पहले तथा तुरन्त बाद स्त्रियों के अधिकारों के लिए कुछ सामाजिक विधान पारित किए गए जैसे – 1929 का बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम तथा 1954 का विशेष विवाह अधिनियम। सम्पत्ति विधेयक विधान है –

RAJDHANI
PAGE:
DATE: / /

1929 का हिन्दू उत्तराधिकारी विधान। 1939 का हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम तथा 1956 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम।

रोजगार विषयक विधान है - 1948 का फैक्ट्री अधिनियम 1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा प्रसूति लाभ अधिनियम आदि। इन विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार किया है किन्तु ये सभी विधान अपर्याप्त हैं तथा समस्या को बाहरी सीमा तक ही स्पर्श करते हैं।